



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय के द्वारा आपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 06 माह का कारावास व 02 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.02.2017 को अभियुक्त द्वारा अपने चचरे भाई के ट्रैक्टर की बैटरी खोलना व जाग होने पर जान से मारने की नियत से फायर करने के संबंध में थाना टाण्डा पर मु०अ०सं०- 184/17 धारा- 379,511,307,34 बनाम 1. वासिक पुत्र महफूज अली निवासी खौद थाना अजीमनगर, रामपुर 2. आजम पुत्र मौ० हनीफ निवासी बिचपुरी थाना टाण्डा जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक- 05.07.2024 को मा० न्यायालय ADJ-01, रामपुर द्वारा अभियुक्त वासिक पुत्र महफूज अली उपरोक्त को 06 माह का कारावास व 02 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त वासिक पुत्र महफूज अली उपरोक्त को 06 माह का कारावास व 02 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

1. वासिक पुत्र महफूज अली निवासी खौद थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826



रामपुर पुलिस



आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

अवगत कराना है कि दिनांक 07.03.2003 को अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा व 02 कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0 17/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम भजनलाल पुत्र रामभरोसे निवासी शेखूपुरा थाना शाहबाद जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया।

पुलिस एवं अभियोजन के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 05.07.2024 को मा0न्या0 ACJM-01, रामपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।